555/15

सर्वोच्च प्राथमिकता/प्रशिक्षण दि0 09,10, एवं 11 अप्रैल, 2015
संख्या–517/पॉच–9–2015–9 (186)/14

प्रेषक,

डा0 सारिका मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक** 6 **अप्रैल, 2015**

विषयः–उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के माध्यम से चिहिन्त महिला पीडिताओं को आर्थित सहायता दिये जाने हेतु साफ्वेयर पर नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–527/60–3/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 जो आपको भी पृष्ठांकित है, की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली–2014 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को उक्त कोष के तहत अपराधों की पीड़िताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट आदि को साफ्वेयर पर अपलोड किये जाने आदि से संबंधित साफ्वेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन दिनांक 09, 10 एवं 11 अप्रैल, 2015 को सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के प्रशिक्षण हाल में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारियों को डिजिलट हस्ताक्षर भी आवंटित किया जाना है ताकि कोष का संचालन सुगमता से हो सके।

2– तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजन हेतु नामित नोडल अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देश **आज ही जारी** करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस अनुभाग एवं प्रमुख सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3 को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 सारिका मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या–517(1)/पॉच–9–2015–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
प्रमुख सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु नामित नोडल अधिकारियों को संलग्न कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण में प्रतिभाग सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
उप सचिव।